ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

श्री नंजप्पन एवं अन्य

13 फरवरी, 2004

[दोराईस्वामी राजू और अरिजीत पसायत, न्यायमूर्तिगण]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988—धारा 168—प्रतिकर के दावे के संबंध में—उच्च न्यायालय ने यह माना कि दावा करने वाला वाहन के स्वामी से प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है तथा बीमाकर्ता प्रतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है—उसकी शुद्धता का प्रश्न। निर्णीतः बीमाकर्ता निर्धारित प्रतिकर राशि का भुगतान करेगा, जिसे वह बीमित व्यक्ति से वसूल करेगा; अतः उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है—वसूली के लिए पृथक वाद दायर करना आवश्यक नहीं है—निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है, जो बीमित व्यक्ति द्वारा बीमाकर्ता को भुगतान किए जाने की विधि के संबंध में उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

एक दुर्घटना हुई और उत्तरदाता-दावाकर्ता ने दावा याचिका दायर की। अधीनस्थ न्यायालयों ने यह माना कि वाहन का बीमित-स्वामी ही उत्तरदायी है, बीमाकर्ता नहीं। उच्च न्यायालय ने सतपाल सिंह के वाद में दिए गए निर्णय को लागू करते हुए यह माना कि उत्तरदाता-दावाकर्ता वाहन के बीमित-स्वामी से प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसका बीमा अपीलकर्ता-बीमाकर्ता के पास था, और बीमाकर्ता प्रतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर का भुगतान करेगा।

अतः वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

उत्तरदाता-दावाकर्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि सतपाल सिंह के वाद में व्यक्त दृष्टिकोण को निरस्त कर दिया गया है, तथापि बलजीत कौर के वाद में दिए गए एक हालिया निर्णय में यह कहा गया है कि न्यायसंगत होगा यदि बीमा कंपनी दावाकर्ता को प्रतिकर राशि

का भुगतान करे और तत्पश्चात उसे बीमित व्यक्ति से वसूल करे।

अपील का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने कहा

निर्णीत: बीमाकर्ता अधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिकर राशि का भुगतान आज से 3 माह के भीतर उत्तरदाता-दावाकर्ताओं को करेगा। उक्त राशि की वसूली वह बीमित व्यक्ति से करेगा, जिसके लिए बीमाकर्ता पृथक वाद दायर नहीं करेगा, बल्कि संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ करेगा, मानो बीमाकर्ता और स्वामी के बीच का विवाद अधिकरण के समक्ष विचारण का विषय रहा हो तथा उस मुद्दे का निर्णय स्वामी के विरुद्ध और बीमाकर्ता के पक्ष में किया गया हो। दावाकर्ताओं को राशि जारी किए जाने से पूर्व वाहन के स्वामी को सूचना दी जाएगी तथा उससे संपूर्ण राशि के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, जिसका भुगतान बीमाकर्ता दावाकर्ताओं को करेगा। दोषयुक्त वाहन को उक्त प्रतिभूति के एक भाग के रूप में कुर्क किया जाएगा। यदि आवश्यकता उत्पन्न हो तो निष्पादन न्यायालय संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सहायता प्राप्त करेगा। वह विधि के अनुसार इस संबंध में उपयुक्त आदेश पारित करेगा कि वाहन का बीमित-स्वामी किस प्रकार बीमाकर्ता को भुगतान करेगा। यदि किसी प्रकार का व्यतिक्रम होता है, तो निष्पादन न्यायालय प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों के विक्रय द्वारा अथवा वाहन के स्वामी की किसी अन्य संपत्ति या संपत्तियों से वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश देगा। (368-डी-जी)

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी बनाम सतपाल सिंह एवं अन्य, (2000) 1 एस.सी.सी. 237—निरस्त किया गया।

मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर एवं अन्य, (2004) 1 स्केल 124—पर अवलंबित।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आशा रानी, (2003) 2 एस.सी.सी. 223 तथा *ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम देविरेड्डी कोंडा रेड्डी,* (2003) 2 एस.सी.सी. 339, संदर्भित।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2004 का दीवानी अपील संख्या 1012

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एल.पी.ए. संख्या 27 का 2001 में दिनांक 28.10.2002 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

अपीलकर्ता के लिए बी.के. सतीजा के लिए जॉय बसु।

उत्तरदाताओं के लिए ए.टी.एम. संपत तथा सुश्री आरती राधाकृष्णन।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा प्रदान किया गया—

न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत- अपील की अनुमति प्रदान की गई।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके पश्चात् 'बीमाकर्ता' कहा जाएगा) ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय की विधिसंगतता को चुनौती दी है, जिसमें यह माना गया कि उत्तरदातागण (जिन्हें इसके पश्चात् 'दावाकर्ता' कहा जाएगा) वाहन के स्वामी (जिसे इसके पश्चात् 'बीमित व्यक्ति' कहा जाएगा) से प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं, और उक्त वाहन अपीलकर्ता के साथ बीमित था, तथा बीमाकर्ता पर प्रतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर का भुगतान करने का दायित्व है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण तथा अधीनस्थ न्यायालय, तिरुपुर (जिसे इसके पश्चात् 'अधिकरण' कहा जाएगा) ने यह माना था कि दायित्व केवल बीमित व्यक्ति का है और बीमाकर्ता का कोई दायित्व नहीं है। अपील में उत्तरदाता-दावाकर्ताओं के पक्ष को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने यह माना कि इस न्यायालय का निर्णय *न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी बनाम सतपाल सिंह एवं अन्य*, [2000] 1 एस.सी.सी. 237, वर्तमान वाद पर लागू होता है। यह उल्लेखनीय है कि दुर्घटना 15.9.1990 को हुई थी और दावा याचिका मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जिसे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) के अंतर्गत दायर की गई थी।

अपील के समर्थन में बीमाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सतपाल सिंह के वाद (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय *न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आशा रानी,* [2003] 2 एस.सी.सी. 223 में पलट दिया गया है तथा उक्त निर्णय का

अनुसरण *ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम देविरेड्डी कोंडा रेड्डी,* [2003] 2 एस.सी.सी. 339 में किया गया है।

दूसरी ओर, उत्तरदाता-दावाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि *सतपाल सिंह* के वाद (उपरोक्त) में व्यक्त दृष्टिकोण को पलट दिया गया है, तथापि *मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर एवं अन्य*, (2004) 1 स्केल 124 के एक हालिया निर्णय में यह कहा गया है कि न्यायसंगत यही होगा कि बीमा कंपनी दावाकर्ता को प्रतिकर राशि का भुगतान करे और तत्पश्चात् उसकी वसूली बीमित व्यक्ति से करे।

यह उल्लेखनीय है कि बीमित व्यक्ति उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था और न ही सूचना की तामील होने के बावजूद इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है।

आशा रानी के वाद (उपरोक्त) तथा *देविरेड्डी* के वाद (उपरोक्त) में कही गई बातों के आलोक में उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण को बनाए नहीं रखा जा सकता। उस सीमा तक उच्च न्यायालय का निर्णय टिकाऊ नहीं है। साथ ही, *बलजीत कौर* के वाद (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। निर्णय के कंडिका 21 में निम्नलिखित कहा गया था:

> "उपर्युक्त विचार-विमर्श का निष्कर्ष यह है कि बीमाकर्ता के स्थान पर तथा उसके बदले वाहन का स्वामी डिक्री का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। तथापि प्रश्न यह है कि क्या इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि उस समय तक विधिक स्थिति स्पष्ट नहीं थी, ऐसा निर्देश न्यायोचित और समतामूलक होगा। हमारा मत है कि ऐसा नहीं होगा। अतः हम विधिक स्थिति को स्पष्ट करते हैं, जिसका प्रभाव भावी होगा। अधिकरण तथा उच्च न्यायालय दोनों ने इस न्यायालय के *सतपाल सिंह* (उपरोक्त) के निर्णय के आधार पर कार्यवाही की थी। उक्त निर्णय को केवल *आशा रानी* (उपरोक्त) के वाद में निरस्त किया गया। इसलिए हमारा मत है कि न्याय के हित की

> पूर्ति इसी में है कि वर्तमान वाद में अपीलकर्ता को, यदि पहले से भुगतान न किया गया हो, दावाकर्ता के पक्ष में निर्धारित प्रतिकर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए और तत्पश्चात् वह राशि वाहन के स्वामी से वसूल कर ले। ऐसी वसूली के लिए बीमाकर्ता को पृथक वाद दायर करना आवश्यक नहीं होगा, बल्कि वह निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा, मानो बीमाकर्ता और स्वामी के मध्य विवाद अधिकरण के समक्ष विचारण का विषय रहा हो तथा उस विवाद का निर्णय स्वामी के विरुद्ध और बीमाकर्ता के पक्ष में किया गया हो। हमने उपर्युक्त निर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 के क्षेत्र और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जारी किए हैं। उक्त धारा के अनुसार अधिकरण न केवल दावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे की राशि का निर्धारण करने तथा उसकी वसूली बीमाकर्ता, वाहन स्वामी अथवा वाहन चालक से संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक रूप से कराने का अधिकार रखता है, बल्कि वह दुर्घटना में सम्मिलित वाहन के स्वामी या चालक और दूसरी ओर बीमाकर्ता के मध्य उत्पन्न विवाद का भी, जहाँ तक ऐसा विवाद ऐसी कार्यवाही में सुलझाया जा सकता हो, निर्णय कर सकता है।"

अतः उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए हम *बलजीत कौर* के वाद (उपरोक्त) में कही गई बातों के अनुरूप यह निर्देश देते हैं कि बीमाकर्ता, अधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिकर राशि, जिसके संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया गया था, आज से 3 माह के भीतर उत्तरदाता-दावाकर्ताओं को अदा करेगा। उक्त राशि की बीमित व्यक्ति से वसूली के उद्देश्य से बीमाकर्ता को पृथक वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा, मानो बीमाकर्ता और वाहन स्वामी के मध्य विवाद अधिकरण के समक्ष विचारण का विषय रहा हो तथा उस विवाद का निर्णय वाहन स्वामी के विरुद्ध और बीमाकर्ता के पक्ष में किया गया हो। राशि दावाकर्ताओं को जारी किए जाने से पूर्व वाहन के स्वामी को सूचना दी जाएगी तथा उससे संपूर्ण राशि के

लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, जिसका भुगतान बीमाकर्ता दावाकर्ताओं को करेगा। दोषयुक्त वाहन को उक्त प्रतिभूति के एक भाग के रूप में कुर्क किया जाएगा। यदि आवश्यकता उत्पन्न हो, तो निष्पादन न्यायालय संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सहायता प्राप्त करेगा। निष्पादन न्यायालय विधि के अनुसार इस संबंध में उपयुक्त आदेश पारित करेगा कि वाहन का बीमित-स्वामी किस प्रकार बीमाकर्ता को भुगतान करेगा। यदि किसी प्रकार का व्यतिक्रम होता है, तो निष्पादन न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों के विक्रय द्वारा अथवा वाहन स्वामी अर्थात् बीमित व्यक्ति की किसी अन्य संपत्ति या संपत्तियों से राशि की वसूली का निर्देश दे। उपर्युक्त शर्तों के अनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

एन. जे. अपील का निस्तारण किया गया।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।